

12.15 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): Sir, I announced the other day the order in which demands for grants relating to the various Ministries are to be taken up. I had indicated that in order to complete the discussion and voting on the demands relating to all the Ministries by 5 P.M. on Wednesday, April 15, 1964, it is essential to have a special sitting of the House on Saturday the 11th.

Some Hon. Members: No, Sir.

Shri Satya Narayan Sinha: I request with your kind permission, that the House may kindly agree to have a special sitting on the 11th.

Some Hon. Members: No.

Mr. Speaker: Order, order. I will put it to the House and the House has to decide.

श्री श्रीकार लाल बरवा (कोटा)
हाउस तो "नहीं" कह रहा है।

प्रध्यक्ष महोदय : एक मम्बर के कहने से तो कंसला नहीं हो सकता है।

Shri Kapur Singh (Ludhiana): The hon. Minister always wishes to drive us like yoked cattle.

Mr. Speaker: He has just made a request to the House and it is for the hon. Members to decide. If they do not want it, I am not going to force it on them. He has come with that request before the House.

On the one hand there is a demand even from smaller groups that they must be provided opportunities on each and every demand. When I had warned the smaller groups that they should be careful in utilising their time, that they have overdrawn already and it is not possible to give them opportunity on every demand,

one hon. Member has written to me "यह कुठार बात है उन के हक पर" I am surprised that the Members should use such phrases and such words, when they are writing to the Speaker. That is not fair.

The other day, when I was replying to Mr. Bagri in Hindi, because I spoke in Hindi, two Members of this House wrote to me, "Is this an insidious attempt to force Hindi imperialism on the House?"

Some Hon. Members: Shame, shame!

Mr. Speaker: That should not be the attitude; some etiquette should be observed.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Why don't you name those Members?

Mr. Speaker: They are here and they are feeling it. I can see it in their faces.

Shri Narasimha Reddy (Rajampet): It was I who wrote to you. You gave your ruling in Hindi and we expected that at the end of it you would translate it into English. But you did not.

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): We should also follow the proceedings. It is out right. I support Mr. Narasimha Reddy. Hindi cannot be imposed on us.

श्री बागड़ी (हिसार): प्रध्यक्ष महोदय...

Mr. Speaker: Order, order. There ought not to be any excitement in this respect. I am not objecting to that demand. They can ask for that. That is a different thing, but when they are writing to me a letter, that must be polite. I cannot tolerate such things. Those words should not be used. That is my objection. I am not objecting to their demand, but it is not possible that every word that is spoken here must be translated into English or Hindi.

Shri Narasimha Reddy: It was not one or two words, but the ruling went on for 10 minutes in Hindi.

Mr. Speaker: He is still persisting in his demand.

I am putting it to Mr. Yadav, the Leader of the Socialist Group, that when the reaction of the House is that it is not prepared to sit on Saturday, then I cannot extend the time and give his group an opportunity on every demand.

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न दूसरी पार्लियामेंट में उठाया था और उसके बाद मैंने सदन में आप से निवेदन किया था। शनिवार को सदन बैठता है या नहीं बैठता है, कितने दिन सदन बैठता है और कितने दिन नहीं बैठता है, कितने दिन सदन की अवधि होती है, कितने दिन नहीं होती है, ये प्रश्न नहीं हैं। प्रश्न यह है कि जो दल है, जिनकी एक निश्चित कोई नीति है, संगठन है बाहर, उनकी संख्या एक है यहां पर या दो हैं या चार है या पांच है या दस है, हर एक विषय पर बोलने का अवसर उनको मिलना चाहिये। चूंकि नीति सम्बन्धी सब प्रश्न आते हैं, इस वास्ते उन्हें समय मिलना चाहिये। कम समय मिले, इसको तो मैं समझ सकता हूं, दो माननीय सदस्य न बोलें, एक को आप बोलने का वक्त दें, इसको भी मैं समझ सकता हूं। लेकिन कितने दिन सदन चलेगा, कितना समय होगा, कुल मांगों पर, दल के सदस्यों की संख्या इस हिसाब से जब समय आप बांटते हैं तो वह उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप

श्री रामसेवक यादव : मेरा निवेदन आप सुन लें। बदकिस्मती से समझिये, एक शब्द "कुठाराघात" लिख दिया गया था जिसका आपने जिक्र कर दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको

कुछ माननीय सदस्य : इस को वापिस ले लो।

श्री रामसेवक यादव : "कुठाराघात" शब्द का अर्थ अगर अध्यक्ष महोदय ने अपनी

निजी हसियत में ले लिया हो तो मुझे जरूर इसके लिए दुःख है। जिस तरह से जनतंत्र में बहुमत को इशारे पर, जनतंत्र में बहुमत के मनमाने ढंग पर काम चलता है, मैंने इस शब्द का उसके लिए प्रयोग किया था। आप से मेरा कोई मतलब नहीं था

अध्यक्ष महोदय : आपने और ज्यादाती की है।

श्री रामसेवक यादव : "इशारे" शब्द को मैं वापिस लेता हूं। वह मैं कहना नहीं चाहता था।

मेरा निवेदन है कि सदन की अवधि बढ़ जाए, समय बड़ा दें, कोई रास्ता मंत्री महोदय निकालें, आप निकालें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन संख्या के आधार पर समय का निर्धारण अगर होगा और दलों को अपनी बात कहने का मौका सभी नीति सम्बन्धी विषयों पर नहीं मिलेगा तो फिर यहां आने का क्या अर्थ रह जाता है

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सुन लिया

श्री रामसेवक यादव : सुन लें आप मझ। संख्या ही अगर सब कुछ है, तब तो सत्तारूढ़ दल की संख्या चूंकि बहुत अधिक है, इसलिए ७० प्रतिशत, ८० प्रतिशत समय उनको ही जाना चाहिये, तब तो दूसरों के लिये समय और भी कम हो जाता है। एक विधान सभा की नज़र में आपके सामने रखना चाहता हूं। केवल एक सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी का उत्तर प्रदेश विधान सभा में था। लेकिन वहां के अध्यक्ष महोदय ने उसको हमेशा, हर विषय पर बोलने का मौका दिया है। मेरा निवेदन है कि चाहे उस दल को कम समय आप द, दो के बजाय एक माननीय सदस्य को बुलायें लेकिन हर एक संगठित दल को हर एक विषय पर बोलने का मौका दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब आप छोड़ें इसको

श्री रामसेवक यादव : मैं चार मांगों को छोड़ चुका हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : आपको मालूम होना चाहिये कि अपोजीशन और कांग्रेस का कोई झगड़ा इसमें नहीं है । कांग्रेस की तादाद, उसकी गिनती, उसकी संख्या तो ज्यादा है ही । फिर भी यह फौसला हो चुका है कि ६० परसेंट समय उनको दिया जाए और ४० परसेंट दूसरों को दिया जाए । ६० परसेंट डिमांड पर जो मैं उनको दे रहा हूँ वह भी उनको नहीं मिल रहा है, पचास परसेंट ही कभी कभी मिलता है । उसमें से भी तीन तीन मिनिस्टर बोलना चाहते हैं, मेम्बर बचारों को तो बहुत कम मौका मिलता है । लेकिन इससे अपोजीशन को क्या

श्री कछवाय (देवास) : ६० परसेंट उधर और ४० परसेंट उधर कर दें ।

अध्यक्ष महोदय : आप अगली बार कोशिश कर के ऐसे प्रायें तो मैं ऐसा कर दूंगा ।

श्री रामसेवक यादव : वह भी बुरा होगा ।

श्री कछवाय : बहुत जल्दी पूरा होगा ।

अध्यक्ष महोदय : ४० परसेंट को तक्सीम करने की बात का जहां तक तान्कुक है, यह अपोजीशन वालों का अपना काम है, मेरे साथ वे बैठ जायें और फ़ैसला कर लें । कम्पनिस्ट या स्वतन्त्र या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी आदि के जितने भी आदमी हैं, वे एक एक मिनट मुझसे गिना कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारे दो मिनट बाकी हैं, तीन मिनट और दे दें या तीन मिनट बाकी हैं दो मिनट और दे दें तो पांच मिनट में एक माननीय सदस्य बोल सकता है । जब कोई भी पार्टी एक मिनट भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है

तो मैं समय कहा से लाकर दे दूँ, किस तरह से हर एक को मैं बोलने की इजाजत दे दूँ और हर विषय पर बोलने की इजाजत दे दूँ । मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ, अपोजीशन पार्टी वाले आ जायें और अगर उनमें कोई समझौता हो सके तो मझे इसमें कोई एतराज नहीं है । मैं वक्त हर एक को देना चाहता हूँ । मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री शिव नारायण (बांसी) : हर एक इस सदन में बराबर का मेम्बर है, हर एक को इक्वल अपरचुनिटी मिलनी चाहिये । हर एक किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर आया है और किसी न किसी निर्वाचन क्षेत्र को वह रिप्रेजेंट करता है । हर एक के बराबर के राइट्स हैं । मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक मेम्बर को विदाउट डिस्टिक्शन चांस मिलना चाहिये । यह आप पर डिपेंड करता है और आप सही जजमेंट दें । आप जिसको चाहे बुलायें, जिसको चाहे न बुलायें । यह आप ट्रेडीशन कर दें कि हर एक को राइट है ।

अध्यक्ष महोदय : जहाँ अपोजीशन कम-जोर हो, वहाँ उसको जरा ज्यादा हक देना पड़ता है ।

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshan-gabad) : Mr. Speaker, I want to make a two-fold request in regard to the motion before the House, moved by the Minister of Parliamentary Affairs, regarding the sitting on Saturday. With regard to the language issue which you raised, I believe the simultaneous translation arrangement is functioning satisfactorily.

Mr. Speaker : We are not concerned with it now.

Shri Hari Vishnu Kamath : All right. It does not arise. About the sitting on Saturday, I appreciate that this issue cannot be resolved by extending the session, because the Finance Bill

has got to be passed by a certain date. Therefore, I would request you to direct the Government to examine more carefully than they have done so far as to whether the Finance Bill could not be passed by this House on the 22nd April, instead of on the 21st April. It has to reach the President before the 29th of April. So, I think there will be enough time for the Bill to go to the other House, get passed there and then reach the President for his assent. I would request the Minister to examine this question more closely.

Shri Satya Narayan Sinha: Sir, I hope you will remember, and the House will also remember, that about ten days back I had hinted that as we are going behind the schedule we might have to guillotine some of the demands which will come last. Because, as my hon. friend has rightly pointed out, there is no question of extending the session; that can be done in other cases; but, in this case, the Finance Bill has got to be passed and returned by the other House and receive the assent of the President before a particular date. We have examined the whole question. It is a matter on which nobody knows what will happen and at least the Government would not like to take any risks. We want the Finance Bill to be passed by this House by the 21st at the latest.

Shri Hari Vishnu Kamath: May I submit in all humility that I have worked it out and according to my computation there is no risk whatsoever in getting it passed here on the 22nd April. There will still be a week after that. Sir, if they are not willing, you may consider the matter.

डा० राम मनोहर लोहिया (गुड़गाबाद)

अध्यक्ष महोदय, पूरे सत्र के लिए समय एक साथ बांट देंगे तो इसने अन्याय होगा। हर एक मंत्रालय के ऊपर अलग-अलग बहस के वक्त जब समय बांटा जाता है, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसलिए किसी

भी दल के लिए पूरे सत्र का समय अगर आप बांट देते हैं तो नतीजा होता है जैसे उस दल को १०, १५, २० या २५ दिन के लिए निकाल देना। इतने दिनों के लिए उसको निकाल देने का सा असर इसका पड़ जाता है। इसलिये उचित होगा कि हर बहस पर अलग से समय आप बोलने के लिए दें चाहे दो मिनट ही

अध्यक्ष महोदय : हर एक बहस पर बुलाया जाता है, अलग से बांटा जाता है।

Then, may I know the sense of the House? Is the House prepared to sit on Saturday?

Some hon. Members: Yes.

डा० राम मनोहर लोहिया : शनिवार नहीं, इतवार, सोमवार, आदि सब दिन बैठेंगे।

Mr. Speaker: Then, I would request those hon. Members who are not prepared to sit, to reconcile themselves. We have to sit on Saturday. We will see what can be done for the future. Because, I also feel that the two days at the week end, Saturday and Sunday, should be off days. In future, that might be kept in mind while fixing the business of the House.

श्री बागड़ी : अभी जो कुछ आपने अंग्रेजी में कहा है, उसको हिन्दी में भी कह दें। जब मेरे सवाल के जवाब में यह कहा जाता है कि जो कुछ आपने हिन्दी में कहा उसको अंग्रेजी में कहना चाहिये या, तो आप जो बात सारे हाउस के वास्ते कह रहे हैं वह हिन्दुस्तानी में भी बता दें तो बहुत अच्छा होगा। जब आप उसको हिन्दी में नहीं बताते हैं तो हमें क्या करना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय : आप बठ जाइये।

श्री रामसेवक यादव : आज अखबारों में हम लोगों ने पढ़ा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने लोक सभा को भी बुलाया है। क्या उसका

[श्री रामसेवक यादव]

नोटिस, श्रीमान्, आपके पास भा गया है ? यदि आपके वह मिल गया है तो किस तरह से इस सदन को वहाँ पर प्रस्तुत किया जायेगा, किस तरह से क्या होगा, यह भी तो बता दें

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल यहाँ नहीं उठाया जा सकता है। यह गवर्नमेंट का मामला नहीं है। यह मामला मेरे और आपके दम्यान का है। आप भायें, सलाह कर लेंगे, मश्वरा भी आप से लेंगे।

श्री बागड़ी : सारे सदन को पता लगना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जब कोई आएगा, मैं हाउस के सामने रखूंगा।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur):
There was a news item.

Mr. Speaker: I am not concerned with the news item. Members pick up news items and then ask questions. I am telling them that I have received no intimation. What more should I tell them?

12.30 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS*—Contd.

MINISTRY OF HEALTH—Contd.

Mr. Speaker: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Health. Shri D. S. Patil may continue his speech.

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) :
अध्यक्ष महोदय, सेंट्रली स्पान्डेड स्कीम्स जो हैं जिन के द्वारा गाँवों को पानी सप्लाई किया जाता है और जिस का इस रिपोर्ट में पेज ६२

पर जिक्र है, उनके बारे में मैं कल कह रहा था। जो सेंट्रली स्पान्डेड स्कीम्स हैं उन में एक स्कीम नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम के बारे में है। यह वह स्कीम है जो गाँवों गाँवों में लागू की गई थी। यह सन् १९५४ में सेंक्शन हुई थी। उसको दस साल हो गये। इस स्कीम का आब्जेक्ट था :

"To help State Governments to provide better protected water supply in the rural areas."

इसका पैटर्न आफ प्रसिस्टेंस यह था कि ५० परसेंट ग्रान्ट इन एंड रूरल एरिया को दी जायेगी। और इसकी प्रोग्रेस और प्रोग्राम को देखा जाये तो सेक्रेटरी फाइव इयर प्लान में सिर्फ ३४५ रूरल स्कीम्स सेंक्शन की गईं। तीसरी पंच वर्षीय योजना तैयार हुई थी तो उसमें ग्रामीण जल प्रदान को प्रथम स्थान दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण जल प्रदान के महत्व को देखते हुए मेरी राय है कि जल प्रदान योजनाओं के निर्माण और नियमन में किसी भी रूप में वित्तीय भ्रष्टाचार अन्य साधनों के अभाव के कारण कोई रुकावट नहीं पैदा होनी चाहिये। प्लानिंग कमिशन का भी यही विचार था। पर जैसा मैंने बतलाया था स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिये जो अग्रना एस्टिमेट दिया वह सिम्पल स्कीम्स फार वेल्स के लिये १०० करोड़ का था। उन्होंने सिर्फ इतने की ही मांग की थी।

A sum of Rs. 1633 lakhs has been provided in the Third Plan under the plan of the State for national water supply and sanitation programme. इस में आप ने जो रुपया रखा था उस में सन् १९६१-६२, १९६२-६३ में सिर्फ २७१ लाख रु० का प्राविजन हुआ था और सन् १९६३-६४ में ६१ लाख रु० का प्राविजन हुआ। तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये

*Moved with the recommendation of the President.